न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार सांखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 111/20128 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1 मन्जू देवी यादव पुत्री रामचन्द्र यादव जाति अहीर निवासी ग्राम नसोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:-'--- वादी अपीलांट

बनाम

1 रामचन्द्र यादव पुत्र स्व0 रिछपाल यादव जाति अहीर निवासी ग्राम नसोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

2. कुसुम देवी यादव धर्मपत्नि सतबीर यादव पुत्री रामचन्द्र यादव जति अहीर निवासी ग्राम नसोपुर तहसील कोटकासिम अलवर

3 सरोज देवी यादव धर्मपत्नि देवेन्द्र यादव पुत्री रामचन्द्र यादव जाति अहीर निवासी ग्राम नसोपुर तह0 कोटकासिम जिला अलवर. हाल निवासी ग्राम पाटोदा तहसील झज्जर जिला झज्जर हरियाणा

4 पूनम देवी यादव धर्मपत्नि वीरेन्द्र यादव पुत्री रामचन्द्र निवासी ग्राम परतापुर तहसील बहरोड जिला अलवर

5 सरला देवी यादव धर्मपत्नि भगतसिंह यादव पुत्री रामचन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम बाघनका तह0 व जिला गुडगांवा हरियाणा

6 मुनेंश देवी यादव धर्मपत्नि राजबीर यादव पुत्री रामचन्द्र यादव जाति अहीर निवासी परतापुर तह0 बहरोड जिला अलवर

7 संतोष देवी यादव धर्मपत्नि जयपाल यादव पुत्री रामचन्द्र यादव जाति अहीर निवासी मामडिया तह0 व जिला रेवाडी हरियाणा

8 रामपत उर्फ रामदत्त यादव पुत्र. रिछपाल यादव जाति अहीर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निवासी ग्राम नसोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर

9 सोमदत्त यादव पुत्र रिछपाल जाति अहीर निवासी ग्राम नसोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर

10. रमेश कुमार यादव पुत्र रिछपाल जाति अहीर निवासी ग्राम नसोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर

11 सोमोती यादव पत्नि किशनलाल जाति अहीर निवासी ग्राम नसोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर

12गुगन यादव पुत्र किशनलाल यादव जाति अहीर निवासी ग्राम नसोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर

13 चन्दभान यादव पुत्र ज्ञानचन्द यादव जाति अहीर निवासी ग्राम भौंखर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

14 रामकिशन यादव पुत्र ज्ञानचन्द यादव जाति अहीर निवासी ग्राम भौंखर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

15 हरिश चन्द यादव पुत्र ज्ञानचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम भौंखर तहसील कोटकासिम जिला अलवर

16 कान्ता यादव धर्मपत्नि जौगेन्द्र यादव पुत्री ज्ञानचन्द यादव वासी ग्राम भोंखर तहसील कोटकासिम जिला अलवर

17 छिन्दर यादव धर्मपत्नि तुलसी यादव पुत्री ज्ञानचन्द जाति अहीर वासी ग्राम भौंखर तह0 कोटकासिम जिला अलवर हाल निवासी ग्राम खिजूरीवास तहसील तिजारा जिला अलवर

18 अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामिण बैंक शाखा ग्राम भौंखर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 जरिये प्रबन्धक,

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

19 राज0 सरकासर जरिये तहसीलदार कोटकासिम लैंड होल्डर

:---- रेस्पो0 प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक 12.7.18

उपस्थित	:-	1.	वकील अपीलांट	:-	श्री रवि गुप्ता
		2.	वकील रेस्पो0 सं. 1	:-	श्री विजय सौगत
		3.	वकील रेस्पो0 9 से12	:-	श्री पारस जैन

निर्णय दिनांक 16.02.2021

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा राजस्व वाद संख्या 205/2010 में पारित निर्णय दिनांक 12.7.18 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 89, 89, 53 व 188 आर0 टी0 एक्ट आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 में खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादनी ने तहत अदालत में एक वाद पत्र प्रस्तुत किया । दौराने विचारण वाद प्रतिवादी संख्या 01 रामचन्द्र ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी प्रतिवादी नम्बर 01 की स्वअर्जित आराजी है, जिस पर वादनी का कोई हक हकूक नहीं है । प्रतिवादी नम्बर 01 ने प्रतिवादी नम्बर 02 के हक में दान पत्र तहरीर व स्वीकार करा दिया है । जब तक उक्त दान पत्र को सिविल न्यायालय से कैंसिल नहीं करा दिया जाता, तब तक वादिया को कोई अनुतोष नहीं दिया जाता सकता । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद खारिज किया जावे । तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादनी का वाद पत्र खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि हमारे द्वारा तहत अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजात से यह सिद्ध है कि विवादित भूमि दादालाई की भूमि है,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

जिसमें वादनी का हिस्सा निहित है । वाद पत्र पर आदेश 7 नियम 11 के
प्रावधान लागू नहीं होते हैं । क्योंकि दावा दादालाई की सम्पत्ति को लेकर है
। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, राज0 उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व
मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में आदेश 7 नियम 11 के तहत अभिमत
प्रतिपादित किया है कि कोई भी वाद प्रारम्भिक स्तर पर जवाब दावा लिये
बिना एवं तनकियात कायम किये बिना आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 के
तहत खारिज नहीं करना चाहिये । परन्तु विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने गौर
नहीं किया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0. का कथन है कि विवादित भूमि रामचन्द्र की
स्व अर्जित आराजी है । उसे अपनी भूमि को हस्तांतरित करने का पूरा
अधिकार है । उसने प्रतिवादी नम्बर 02 के हक में दान पत्र निष्पादित करा
दिया है । वह दान पत्र आज तक प्रभाव में है । जब तक सिविल न्यायालय
से दान पत्र को कैंसिल नहीं करा लिया जाता, तब तक राजस्व न्यायालय
वादनी को कोई अनुतोष नहीं दे सकता । इसलिये तहत न्यायालय ने सही
तौर पर आदेश 7 नियम 11 में वाद पत्र खारिज किया है । अतः निवेदन है
कि अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर
किया । साथ ही आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों का अध्ययन किया ।
माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि
आदेश 7 नियम 11 में उठाई गई आपत्तियां तथ्यों एवं विधि के मिश्रित प्र श्न
है, जिनके सम्बन्ध में तनकियात कायम कर निर्णय पारित करना चाहिये,
परन्तु विद्वान तहत अदालत ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया । इतना ही
नहीं, अनेकों नजीरों में तो यहां तक प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिवादी
को आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं है ।
प्रतिवादी की जो भी आपत्तियां है, उन्हें वह अपने जवाब दावा में उठा सकता
है । प्रस्तुत प्रकरण में तहत अदालत ने ना तो तथ्यपरक तनकी कायम की है
और ना ही विधिपरक तनकी कायम की है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन
निर्णय को विधिसंगत नहीं कहा जा सकता । लिहाजा अपील अपीलांट
आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आं शिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत
अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.7.2018 निरस्त किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

जाता है तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो प्रतिवादी की जो भी आपत्तियां है, उनके सम्बन्ध में जवाब दावा लेवें । तत्पश्चात दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तथ्यपरक एवं विधिपरक तनकियात कायम कर उन पर उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर तनकीवार निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 17.03.2021 को उपस्थित हों ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अशोक कुमार सांखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर